

क्रमांक : प. 7(51)परि/नियम/मु./1987-95/ 9962


जयपुर, दिनांक : 11/5/16

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार द्वारा यह समाधान हो चुका है कि खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन के उपयोग में लिए जाने वाले परिवहन यानों के चालकों को केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकृत किया जाए। इस क्रम में राज्य सरकार लोकहित में राजस्थान राज्य में स्थापित निम्न प्रशिक्षण संस्थानों को एतद् द्वारा अधिकृत करती है:-

1. इस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ड्राइवर एण्ड रिसर्च, रेलमगरा, राजसमंद।
2. ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग टैस्टिंग एण्ड रिकल इस्टीट्यूट, माखुपुरा, अजमेर।


उक्त संस्थानों को इस शर्त पर अधिकृत किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किए जाने वाले प्रशिक्षक की न्यूनतम तकनीकी योग्यता रसायन विज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर/इंजीनियरिंग डिप्लोमा/इंजीनियरिंग डिग्री अथवा रसायन में स्नातक स्तर के समकक्ष अन्य कोई योग्यता होगी।

  
(डॉ. मनीषा अरोड़ा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमांक : प. 7(51)परि/नियम/मु./1987-95/ 9963-69 जयपुर, दिनांक 24/5/16

1. विशिष्ट सचिव, माननीय परिवहन मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त ।
4. समस्त प्रादेशिक /अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ड्राइवर एण्ड रिसर्च, रेलमगरा, राजसमंद।
6. ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्टिंग एण्ड स्किल इंस्टीट्यूट, माखुपुरा, अजमेर।
7. रक्षित पत्रावली।

  
 संयुक्त शासन सचिव